[illegible]

कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र नीमच जिला–नीमच (म.प्र.)

संयुक्त कलेक्टर भवन, नीमच–458441

दूरभाष क्र.:–07423–229959

ईमेल आईडी–nmhrgsm@rediffmail.com, nmhrgsm@gmail.com

क्र./जि.शि.के./निविदा/2019/79 नीमच, दिनांक [illegible]

आउटसोर्सिंग के आधार पर उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल सेवाएं लेने हेतु ऐजेन्सी का खुली निविदा के माध्यम से चयन

निविदा प्रपत्र

1. जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल मेनपावर की विविध कार्यो के सम्पादन [illegible] अनुभवी आउटसोर्सिंग सर्विसेज ऐजेन्सियों से द्वि–निविदा प्रणाली में एक वर्ष की अवधि के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा कार्य के संबंध में विवरण निम्नानुसार है

कार्य का नाम	धरोहर राशि	विस्तृत निविदा प्रपत्र कय करने की अवधि	भरी हुई निविदा प्रदाय एवं खोलने की अंतिम तिथि एवं समय
उच्च कुशल/ कुशल/अर्द्धकुशल सेवाएं प्रदाय करने हेतु।	75 हजार	14 01.2020	भरी हुई निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 15.01.2020 अपरान्ह 3:00 बजे तक तकनीकि बिड खोलने की तिथि 15 जनवरी 2020 अपरान्ह 4:00 बजे वित्तीय बिड खोलने की तिथि दिनांक 22 जनवरी 2020

2. [illegible] प्रपत्र दिनांक 14.01.2020 तक [illegible] प्रशासन कक्षा से राशि रुपये 500/– का भुगतान कर क्रय किये जा सकते है।

3. सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदायें भरने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हताये, शर्ते एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणो को सावधानी पूर्वक पढकर ही निविदा भरकर जमा करें। निविदा के साथ किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज को संलग्न चेकलिस्ट से भी मिलान कर लें।

4. **निविदा प्रपत्र भरने के सामान्य निर्देशः–**

4.1 निविदा दो प्रस्ताव (बिड) प्रणाली सिस्टम में भरी जायेगी 1.तकनीकि प्रस्ताव 2.वित्तीय प्रस्ताव

4.1.1 ऐजेन्सी द्वारा दोनो प्रस्ताव पृथक पृथक छोटे लिफाफों में सील कर एक साथ एक बडे लिफाफे में सीलबंद कर जिला शिक्षा केन्द्र नीमच के प्रशासनीक कक्ष में जमा किये जायेंगे। जिस लिफाफे में तकनीकि एवं वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किये जा रहे है उन लिफाफों मे स्पष्ट रुप से तकनीकि प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव उल्लेखित किया जावे।

4.2 तकनीकि प्रस्तावः—

4.2.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अ को पूर्ण कर प्रपत्र—1 (भाग—1, भाग—2) प्रपत्र—2, प्रपत्र—3, प्रपत्र—4 भरकर प्रस्तुत करना होगा।

4.2.2 बिड के साथ धरोहर राशि के रुप में रुपये 75 हजार का बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र नीमच के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा।

4.2.3 कंडिका 5 के अन्तर्गत वर्णित पात्रता शर्तों अनुसार प्रपत्र एक भाग—2 अनुसार उल्लेखित सभी दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

4.2.4 तकनीकि बिड जिला शिक्षा केन्द्र नीमच द्वारा निर्धारित तकनीकि बिड फार्म भरकर चाहे गये संमस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र कंडिका 4.1.1 एवं 4.2.2 अनुसार दिनांक 15.01.2020 को समय 3:00 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र नीमच में जमा करना होगा।

4.3 वित्तीय प्रस्तावः—

4.3.1 वित्तीय प्रस्ताव में निविदाकार संस्था सेवाये प्रदाय करने हेतु उपलब्ध कराये गये मेनपावर के कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक (जो लागू हो) पर सेवा शुल्क की दर प्रस्तावित करेगी। (निधारित प्रपत्र—ब)

4.3.2 सेवा शुल्क दर की गणना पारिश्रमिक के प्रतिशत के रुप में की जाएगी। अन्यथ की स्थिति में कोई भी दर स्वीकार्य नही होगी।

4.3.3 सेवा दर समान रुप से सभी श्रेणी की सेवाओं (उच्च कुशल/कुशल/अर्द्ध कुशल) पर लागू होगी।

4.3.4 संस्थान द्वारा वित्तीय प्रस्ताव संस्थान के लेटर हेड में सीलबंद लिफाफे में ही स्वीकार्य योग्य होगा। वित्तीय बिड दिनांक 15 जनवरी 2020 को समय 3 बजे तक कार्यालय के प्रशासन कक्ष में जमा करना होगा।

4.4 निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की ओवर रायटिंग/काट छाट होने पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

4.5 दिनांक 15 जनवरी 2020 को 4 बजे जिला शिक्षा केन्द्र के द्वारा गठित निविदा समिति के समक्ष समस्त तकनीकि बिड खोले जायेगे एवं गठित समिति के परीक्षण उपरान्त उनकी अनुशंसा के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदा संस्था के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेंगे। निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोलने की तिथि पृथक से तय की जायेगी जिसकी सूचना तकनीकि रुप से सफल निविदाकारों को ईमेल/दूरभाष/स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जायेगी।

4.6 जिला मिशन संचालक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी निविदा या उसके किसी अंश को या सम्पूर्ण निविदा प्रकिया को किसी भी स्थिति में बगैर कोई कारण बताये स्थगित या निरस्त कर सके।

5. निविदा हेतु पात्रता की आवश्यक अर्हता /शर्तेः—

5.1 शासकीय/सार्वजनिक क्षैत्र के उपकमों/स्वायत्तशासी उपकम एवं मध्यप्रदेश शासन के संबंधित विभाग/वैधानिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत प्रोप्रायटरी, पार्टनरशिप, कंपनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत/लायसेंस प्राप्त निविदाकार आउटसोर्स ऐजेन्सी ही उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र होंगे।

[illegible]

[illegible]
उच्च कुशल, कुशल, एवं अर्द्धकुशल की सेवाये उपलब्ध कराने का कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य है।

5.4 निविदाकर्ता ऐजेन्सी को पूर्व में किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल कार्यालयों द्वारा ब्लैकलिस्टेड अथवा ब्लैकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हो इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

5.5 संबंधित पैन कार्ड की छायाप्रति।

5.6 ईपीएफ पंजीयन कमांक प्रमाण पत्र विगत छह माहों के चालान एवं ईसीआर फाईल्स जो कि ऑनलाईन जनरेट किये गये हो।

5.7 ईएसआईसी पंजीयन कमांक प्रमाण पत्र एवं विगत छह माहों के चालान तथा अंतिम ऑनलाईन जमा रिटर्न की प्रति।

5.8 विगत तीन वर्षो की आयकर विवरणी की पावती जो आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति।

5.9 श्रम कानूनों के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने संबंधी निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र।

5.10 निविदाकार संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो [illegible]

5.11 श्रम कल्याण मण्डल को विगत वर्ष जमा [illegible]

5.12 बिड के साथ निविदाकार ऐजेन्सी के [illegible] सत्यापित छायाप्रतियां प्रस्तुत किया जाना [illegible] जाने पर संबंधित निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर उसकी परफार्मेन्स गारंटी, धरोहर राशि राजसात की जाकर यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

5.13 निविदा के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजो की सूची/चेकलिस्ट (प्रपत्र एक भाग–2) अनुसार होगी।

5.14 संलग्न दस्तावेज चेकलिस्ट प्रपत्र–एक अनुसार समस्त अर्हता पाए जाने पर ही संबंधित ऐजेन्सी का वित्तीय बिड खोला जावेगा।

5.15 निविदा प्रपत्र सफल निविदाकार से अनुबंध का एक भाग होगा एवं इसकी समस्त शर्तें अनुबंध में शामिल मानी जाएगी।

5.16 प्राप्त प्रस्तावो के मूल्यांकन को सरल तथा प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु जिला शिक्षा केन्द्र निविदाकर्ताओं से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध मे स्पष्टीकरण मांग सकता है। निविदाकताओं को स्पष्टीकरणसे संबंधित जानकारी निर्धारित समयसीमा में लिखित रुप से जिला शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराना होगा।

5.17 यदि कोई निविदाकार निविदा के संबंध में 5.16 अनुसार स्पष्टीकरण का जवाब समय सीमा में लिखित में नही देता है तो उनकी निविदा को निरस्त किया जा सकेगा। यदि जिला शिक्षा केन्द्र निविदा को निरस्त नही [illegible] कोई अर्थ या अभिप्राय निर्धारित करते [illegible] तो बाद में स्पष्टीकरण के अभिप्राय के [illegible] को मान्य नही होगा।

6. सफल निविदाकार/संस्था के लिए सेवा शर्तें

6.1 सफल निविदाकार को वर्ष में होने वाले [illegible] राशि परफारमेन्स गारंटी के रुप में धरोहर [illegible] ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जिला परियोजना [illegible] स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच नीमच में देय होगा के रुप में जमा करनी होगी। यह अनुबंध की अवधि की समाप्ति के 180 दिन बाद तक की अवधि या जब तक कि उसके लंबित बिलों का निपटान नही हो जाता तब तक के लिए जिला शिक्षा केन्द्र के पास जमा रहेगी। इस राशि पर कोई ब्याज नही दिया जायेगा। निविदाकार संस्था के मेनपावर द्वारा जिला शिक्षा केन्द्र की सामग्री के नुकसान, क्षति, दूरुपयोग होने की स्थिति में हर्जाना पूर्ति जिला शिक्षा केन्द्र के हित में इसी धरोहर राशि से की जायेगी।

6.2 सफल निविदाकार को उसकी निविदा मान्य किये जाने का आदेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह की अवधि में जिला शिक्षा केन्द्र के साथ हुए अनुबंध करते हुए परफारमेंन्स गारंटी जमा कर अधिकतम 15 दिवस की समय सीमा में मेनपावर उपलब्ध कराना होगा। अनुबंध पर स्टाम्प आदि पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा व्यय किया जावेगा।

6.3 संस्था द्वारा प्रदाय किये गये मेनपावर को कलेक्टर नीमच द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक की दर का भुगतान किया जाएगा। संस्था द्वारा प्रतिमाह जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत देयक मे अदा किये गये पारिश्रमिक का विवरण देना होगा।

6.4 सफल निविदाकार श्रमिकों से संबंधित एवं [illegible] समस्त वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हेतु [illegible] निर्धारित पंजियों का संधारण संस्था को [illegible] चाहे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

6.5 जिला शिक्षा केन्द्र सेवाओं की आवश्यकता के आधार पर कार्य की प्रकृति अनुसार ऐजेन्सी को सेवा उपलब्ध कराए जाने हेतु मेनपावर की मांग करेंगी। तत्पश्चात ऐजेन्सी अधिकतम 15 दिवस के भीतर मेनपावर का पेनल जिला शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराएगा जिसमें से जिला शिक्षा केन्द्र [illegible]

6.6 जिला शिक्षा [illegible] के अनुसार कार्य का संपादन न किये जाने पर जिला शिक्षा [illegible] संस्था से कार्य का संपादन तात्कालिक रुप से कराने को [illegible] में होने वाले व्ययों के भुगतान का उत्तरदायित्व सफल निविदाकार पर होगा जो कि उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि से वसूली योग्य होगा।

6.7 कार्य पर रखे गये अपने समस्त मेनपावर की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए सभी वैधानिक उपाय ऐजेन्सी द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। जिला शिक्षा केन्द्र का इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

6.8 यह निविदा कार्य कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष के लिए (12) ही मान्य होगा। ऐजेन्सी का कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में ऐजेन्सी का कार्यकाल पूर्व अनुबंधित दरो पर दोनो पक्षों [illegible] बढाया जा सकेगा।

[illegible] का उल्लघन किया जाना साबित होने [illegible] समय पर अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा संस्था पर निम्न कार्यवाही की जा सकेगी--

1. रु.न्यूनतम 2000/– से अधिकतम 10000/– तक का क्षतिपूर्ति प्रति त्रुटि का अधिरोपण।
2. संस्था को सबंधित कर्मचारी को सेवा से हटाने हेतु निर्देश दिये जाना।

3 निविदा निरस्त करना तथा परफारमेन्स गारंटी राजसात करना।

[illegible] [illegible] करने हेतु बाध्य है एवं किसी भी [illegible] को नही दे सकेगा अन्यथा इसे [illegible] हुए साथ ही उसकी परफारमेन्स गांरटी राजसात [illegible]।

6.11 श्रम कल्याण मण्डल को दिये जाने वाला सेवा शुल्क सफल निविदाकार/ऐजेन्सी के द्वारा प्रस्तावित सेवा शुल्क की दरों में शामिल होगा। पृथक से इस हेतु कोई भुगतान नही किया जाएगा।

6.12 सफल निविदाकार/ऐजेन्सी को ईपीएफ एवं ईएसआईएस विभाग से नियमानुसार सर्वाधिक निरीक्षण करवाना होगा एवं निरीक्षण का प्रतिवेदन जिला शिक्षा केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।

7. भुगतान प्रकियाः-

7.1 ऐजेन्सी के मेनपावर को अदा किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान ऐजेन्सी द्वारा संबंधित के खाते मे किया जाना अनिवार्य होगा।

7.2 ऐजेन्सी द्वारा उपलब्धकराये गये मेनपावर की उपस्थिति जिला शिक्षा केन्द्र प्रतिमाह की 3 तारीख तक प्रेषित करेंगी जिसके आधार पर ऐजेन्सी को प्रतिमाह की 5 तारीख तक अपने मेनपावर का [illegible]।

7.3 ऐजेन्सी द्वारा [illegible] किए जाने केउपरान्तऐजेन्सी के द्वारा [illegible] शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत किया जाना [illegible] जानकारी/वैधानिक कटौत्रा प्रति [illegible] दस्तावेज संलग्न कर भुगतान हेतु [illegible] पर परीक्षण उपरान्त ऐजेन्सी को भुगतान किया जावेगा।

7.4 जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा ऐजेन्सी को प्रस्तुत देयक में से निम्नानुसार टीडीएस कटौत्रा कर भुगतान किया जावेगा।

7.5 [illegible] प्रपत्र-ब में उल्लेखित दरों के अतिरिक्त [illegible] केन्द्र द्वारा भुगतान किया जावेगा।

7.6 [illegible] लिए जमा किया गया कर्मचारी राज्य बीमा [illegible] साथ (जमा किये गये फार्म की प्रति एवं [illegible] करेंगी।

7.7 [illegible] की जमा की गई ईपीएफ अंशदान के चालान की प्रति प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न करेगी।

7.8 ऐजेन्सी प्रतिमाह सर्विस टेक्स जमा करने संबंधी विविरण की प्रति प्रतिमाह देयक के साथ संलग्न करेगी जिसकेआधार पर सर्विस टेक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. समस्याओं का निराकरणः-

ऐजेन्सी को जिला शिक्षा केन्द्र मे कार्य करने मे यदि कोई कठिनाई हो रही है तो उसके समाधान के लिए जिला मिशन संचालक से निर्देश प्राप्त करते हुए निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

9. जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा चाहे गये मेनपावरः–

क्र	पद	योग्यता	अनुमानित संख्या
1	कम्प्यूटर आपरेटर	• किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित स्नातक एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पालीटेक्निक डिप्लोमा डीसीए/पीजीडीसीए/डीओ ईएसीसी प्रमाण पत्र। • मेप आईटी द्वारा जारी सी.पी.सी.टी (कम्प्यूटर+हिन्दी+अंग्रेजी) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।	06
2	लिपिक	• किसी भी मान्य बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण। • मेप आईटी द्वारा जारी सी.पी.सी.टी (कम्प्यूटर+हिन्दी+अंग्रेजी) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। • शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण को प्राथमिकता।	03
3	चौकीदार	• मान्य प्राथमिक बोर्ड से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण	01

जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा निम्न अन्य सेवाए चाहे जाने पर मेनपावर उपलब्ध कराना होगाः–

क्र	सेवा
1	कम्पोजिंग कार्य हेतु कम्पोजर
2	डीटीपी कार्य हेतु डीटीपी आपरेटर
3	ग्राफिक्स डिजाईनिंग कार्य हेतु ग्राफिक्स डिजाईनर
4	एडूसेट संचालन हेतु तकनीकि सहायक
5	लायब्रेरियन
6	इलेक्ट्रीशियन
7	प्लम्बर

नोटः– मेनपावर की संख्या एवं श्रेणी आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकेगी।

10. विवाद का निपटाराः–

10.1 जिला शिक्षा केन्द्र में कार्य करने के लिए संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले मेनपावर पहचान तथा चरित्र का सत्यापन कराने का दायित्व संस्था पर होगा।

10.2 किसी अपरिहार्य या आकस्मिक कारण जैसे देवीय आपात की स्थिति में ऐजेन्सी द्वारा नियोजित व्यक्ति को जिला शिक्षा केन्द्र में कार्य के दौरान हुई क्षति के लिए जिला शिक्षा केन्द्र का उत्तरदायित्व नही होगा। सामान्य स्थिति में नियोजित कर्मचारी के स्वास्थ्य एव उसकी सुरक्षा का दायित्व ऐजेन्सी का होगा। कार्य के दौरान हुई क्षति के लिए नियोजित व्यक्ति के प्रति जिला शिक्षा केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

10.3 निविदा कार्य से संबंधित अनुबंध के अनुसार कार्य/उत्तरदायित्वों के निष्पादन में किसी भी तरह की समस्या अथवा विवाद, उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण जिला मिशन संचालक जिला शिक्षा केन्द्र के समक्ष समाधान तथा निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावेगा। जिला मिशन संचालक के निर्णय से असंतुष्ट होने पर ऐजेन्सी को एक सप्ताह की समयावधि के अन्दर अपना अभ्यावेदन जिला मिशन संचालक के समक्ष लिखित रुप में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। ऐसे विवादके संबंध में जिला मिशन संचालक जिला शिक्षा केन्द्र का निर्णय दोनो पक्षों पर बाध्यकारी तथा अतिम होगा।

10.4 सभी विवादों के विचारण का क्षैत्रीय क्षैत्राधिकार जिला न्यायालय नीमच का होगा।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र, नीमच

लिफाफा क.–1

तकनीकि प्रस्ताव (बिड)

प्रपत्र–1 (भाग–1)

1	फर्म / संस्था का नाम	
2	संचालक का नाम	
3	**संस्था के कार्यालय की जानकारी**	
A	पत्राचार का पता	
B	दूरभाष नं	
C	फेक्स नं	
D	ई–मेल	
4	**फर्म / संस्था के बैंक खाते के संबंध में जानकारी**	
A	बैंक का नाम खाता नं.	
B	बैंक का पता	
5	**रजिस्ट्रेशन विवरण**	
A	पैन नं.	
B	सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं	
C	ईपीएफ रजिस्ट्रेशन नं	
D	ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नं	
E	संस्था का पंजीयन नं.	
6	**सुरक्षा निधि संबंधी जानकारी**	
A	राशि	
B	डीडी / बैंकर्स चेक नं एवं दिनांक	
C	बैंक का नाम	
D	वैधता दिनांक	

प्रपत्र–1 (भाग–2)

[illegible]	विवरण	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible] सारांश जिसमें समान कार्य के टर्नओवर की राशि का प्रमाणीकरण चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा किया गया हो।		
[illegible]	निविदाकार ऐजेन्सी का विगत वर्षो का कार्य अनुभव [illegible] अनिवार्य है एवं इन तीन वर्षो में किसी भी एक वर्ष का शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मण्डल कार्यालयों में उच्च कुशल, कुशल एवं अर्द्धकुशल की सेवाये उपलब्ध कराने का कार्यादेश संलग्न करना अनिवार्य है।		
[illegible]	[illegible] शासकीय / अर्द्धशासकीय / निगम / मण्डल कार्यालयों द्वारा ब्लैकलिस्टेड अथवा ब्लैकलिस्टेड की कार्यवाही न की गई हों इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।		
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible] पंजीयन क्रमांक प्रमाण पत्र विगत छह [illegible] चालान एवं ईसीआर फाईल्स जो कि ऑनलाईन जनरेट किये गये हो।		
[illegible]	[illegible] क्रमांक प्रमाण पत्र एवं विगत छह माहों के चालान तथा अंतिम ऑनलाईन जमा रिटर्न की प्रति		
[illegible]	[illegible] आयकर विभाग द्वारा जारी की गई हो की छायाप्रति।		
[illegible]	श्रम कानूनों के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरों का भुगतान करने संबंधी निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र		
[illegible]	[illegible] संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो में प्रस्तुत की [illegible] सेवाकर विवरणी की छायाप्रति।		
[illegible]	श्रम कल्याण मण्डल को विगत वष जमा [illegible] शुल्क का विवरण		
[illegible]	[illegible] प्रस्ताव बिड प्रपत्र–1		
[illegible]	[illegible] विबड अलग [illegible] प्रपत्र–ब)		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम–
पदमुद्रा–

दिनांक –
स्थानः–

लिफाफा क.—1

निविदाकार के कार्यानुभव का विवरण प्रपत्र—1 (भाग—1)

क्र.	प्रतिष्ठान संस्था का नाम पुरा पता दूरभाष नं.फैक्स नं. (जहां निविदाकार ने कार्य किया हो)	अनुबंध में श्रमिकों की संख्या	अनुबंध के अन्तर्गत वर्ष में प्राप्त कुल भुगतान	अनुबंध की अवधि		
				दिनांक से	दिनांक तक	कुल अनुभव अवधि
१	२	३	४	५	६	७
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						

नोट:—1. अतिरिक्त जानकारी हेतु अतिरिक्त प्रपत्र का उपयोग करें।
2. सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक —

नाम—

स्थान:—

पदमुद्रा—

लिफाफा क.–1

प्रपत्र–2

शपथ पत्र का प्रारुप

(रु.10/–के गैर न्यायिक मुद्रांक/नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं ....पुत्र/पुत्री..उम्र........................पता........................ ....शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि –

1. मैं निविदाकर्ता संस्था ....(फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का .... (एकल स्वामी/साझेदार/संचालक/मेनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमानमें वैधानिक रुप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता.. है।
2. मैने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रुप से पढ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य है।
3. निविदा मे वर्णितसभी कार्यो को सम्पादित करने के लिए मेरे /मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त है।
4. मेरे /मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं प्रामाणिक है। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त किया जाना मान्य होगा तथा हमारे द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि एवं परफारमेन्स गांरटी जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा जप्त किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगा।
5.

शपथगृहिता

दिनांक –

नाम–

स्थानः–

पता–

1 गवाह नाम पता ....

2. गवाह नाम पता ....

सत्यापन

मैं निविदाकर्ता संस्था ....(फर्म/कम्पनी/संस्था का नाम) का .... (एकल स्वामी/साझेदार/संचालक/मेनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुतउपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित क्र.1 से लेकर 4 तक किये गये कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य तथा प्रामाणिक है।

शपथगृहिता

दिनांक –

नाम–

स्थानः–

पता–

1. गवाह नाम पता ....

2. गवाह नाम पता ....

लिफाफा क.–1

प्रपत्र–3
घोषण पत्र
(श्रम कानून के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं .... आत्मज .... मेनपावर के लिए जिला शिक्षा केन्द्र नीमच में निविदाकार हूँ। मै यह घोषित करता हूँ कि हमारी संस्था द्वारा यदि जिला शिक्षा केन्द्र नीमच में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरुप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून/नियम/विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक –

नाम–

स्थान:–

पता:–

लिफाफा क.–1

प्रपत्र–4
अंकेक्षित लेखों का सारांश
((रु.10/–के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पर प्रस्तुत करें)

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ....पता..... ....
_____के विगत तीन वर्षो के अंकेक्षित लेखों एवं आयकर विभाग को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेंरे द्वारा की गई है। अंकेक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का समान प्रकृति के कार्य का आवर्त (टर्नओवर) इस प्रकार है–

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1			
[illegible]			
3			

[illegible]

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वय जांची गई है। जिसे जिला शिक्षा केन्द्र नीमच की निविदा शर्तो के अनुसार वाछित शर्त के रुप में मैं प्रमाणित करता हूँ।

दिनांक –

स्थानः–

चार्तरित लेखाकार का नाम–

फर्म की पदमुद्राः–

लिफाफा क.–2

वित्तीय बिड

निविदा प्रपत्र–ब–1

क्र.	श्रेणी	कलेक्टर दर/ पारिश्रमिक	ईपीएफ	ईएसआई	कलेक्टर दर/पारिश्रमिक पर ऐजेन्सी का सर्विस चार्ज	योग
1	डाटा एन्ट्री आपरेटर उच्च कुशल					
2	लिपिक कुशल					
3	चौकीदार अर्द्धकुशल					

निविदा प्रपत्र–ब–2 (अन्य सेवाओं हेतु)

क्र.	श्रेणी	कलेक्टर दर/ पारिश्रमिक	ईपीएफ	ईएसआई	कलेक्टर दर/पारिश्रमिक पर ऐजेन्सी का सर्विस चार्ज	योग
1	[illegible]					
2	[illegible]					
3	[illegible]					
4	[illegible]					
5	[illegible]					
6	इलेक्ट्रीशियन					
7	[illegible]					

(तकनीकि निविदा का प्रस्तुतीकरण)

प्रपत्र–अ

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र नीमच म.प्र.
संयुक्त कलेक्टर भवन, नीमच–458441
दूरभाष क्र.:–07423–229959

विषयः– जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय में उच्च कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल मेनपावर की विविध कार्यो के सम्पादन हेतु अनुभवी आउटसोर्सिंग सर्विसेस के लिए कर्मचारीवृंद का परिनियोजन ।

महोदय,

मैं/हम एतद द्वारा यह निविदा प्रस्तुत करते है तथा यदि यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं/हम संविदा दस्तावेज मे वर्णित किए गए उपरोक्त कार्य तथा फेरबदल परिवर्तन या विलोपन के परिणाम स्वरुप किसी परिवर्तन तथा संविदा की शर्ते के लिए उपबंधित भुगतान के तरीको को निष्पादित करने का वचन देते है।

सविदा की शर्तों के अनुसार मैं/हम पात्रता मापदण्ड को पूरा करते है। हमने विभिन्न निबंधन तथा शर्तों का अध्ययन कर लिया है तथा मैं/हम इस कार्य को अपने हाथ में लेने के लिए सहमत है।

मैं/हम जिला शिक्षा केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के लिए अपनी निविदा 1 वर्ष दिनों के लिए खोलने के प्रस्ताव से सहमत है। जैसा कि निविदा सूचना में वर्णित किया गया है तथा यह वचन देता/देती हूँ /है कि उपरोक्त कालवधि के दौरान उसके संपूर्ण या उसके किसी भाग को चाहे जो भी कारण हो उपांतरित नही करुंगा/करेंगे। यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा चाहे किसी कारण से वापस ली जाती है तो जिला शिक्षा केन्द्र को यह अधिकार होगा कि मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई बयाना (अमानत)राशि को जप्त कर ले।

मैने/हमने निविदा दस्तावेज में वर्णित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढा है तथा समझ लिया है तथा मैने/हमने संविदा दस्तावेज तथा उक्त कार्य की अवस्थिति तथा अन्य जांच जो संविदा के कार्य के लिए अपेक्षित है परीक्षण कर लिया है तथा उक्त कार्य की व्याप्ति को समझ लिया है तथा उससे मैं/हम स्पष्ट रुपसे सहमत हूँ/है।

मैं/हम तत्पश्चात कोई दावा या मांग किसी प्राधिकारी से जो मेरी/हमारी ओर से गैर समझ, गलत धारणा, अपेक्षित मांग, अनुबंध, निर्धारित शर्त, प्रतिबंध तथा शर्तो गलती पर आधारित है, नही की जावेगी।

मैं/हम एतद द्वारा डिमांड ड्राफ्ट कमांक ....दिनांक ....जो कि राशि रुपये.. . . . . .का है तथा जिला शिक्षा केन्द्र नीमच को देय है बयाने के पक्ष में जिस पर कोई लाभ उत्पन्न नही होगा जो कि जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा देय हो संलग्न करते है। यदि

मेरा/हमारी निविदा स्वीकृत नही की जाती है तो इस राशि के मुझे/हमें जब संसूचना मुझे/हमें भेजी जाये या शीघ्रातिशीघ्र वापस कर दिया जाये। यदि मेरा/हमारी निविदा स्वीकृत की जाती है तो बयाना राशि अनुबंध करने के पश्चात जो कि सम्यक रुप से निष्पादन गारंटी विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर होगी बयाना राशि वापस कर दी जायेगी। उस समय मेरा/हमारी निविदा जिला शिक्षा केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जायेगी। मैं/हम सम्यक रुप से निष्पादन गारंटी पूर्ण करने [illegible] मे प्रवेश करेंगे। ऐसा करने में असफल रहने पर [illegible] सहमति प्रदान करते है। यदि कोई सूचना मेरे [illegible], व्यक्तिगत रुप से पत्र अग्रेषित कर या रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या मेरे अपने पते पर जो इसमें वर्णित है भेजी जाती है। यदि ऐसी सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजी जाती है तो यह मेरे/हमारे पर तामील की गई सूचना समझी जाएगी। जब यह अपने सामान्य कामकाज के दौरान भेजा गया समझा जायेगा। यदि ऐसी सूचना पोस्ट द्वारा भेजी गई सूचना मानी जायेगी। जब यह मेरे/हमारे उपर अपने साधारण कामकाज के दौरान उक्त पते पर भेजी जाये लिया गया है।

मैने /हमने पूरी तरह से समझ लिया है कि एक लिखित अनुबंध मेरे/हमारे और प्राधिकारी के बीच होगा जो दोनो पक्षकारों के अधिकारो तथा दायित्वों का अध्ययीन होगा और यह पूरा होना तक नही माना जायेगा। जब तक अनुबंध मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित नही होता और जिला शिक्षा केन्द्र की ओर से प्राधिकृत अधिकारी उस पर हस्ताक्षर नही करता है।

संलग्न–तकनीकि बिड प्रपत्र क.1 एवं 2 ।

हस्ताक्षर /प्राधिकृत
ऐजेन्सी के संविदाकार के हस्ताक्षर

नामः–

पूर्ण पताः–

मोबाईल नं:–

कार्यालय का दूरभाष कमांक

दिनांक–

गवाह के हस्ताक्षरः–

(नाम तथा पते के साथ)